DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :–एफ.2(2137)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/I/52908/2016 जयपुर, दिनांक : 1/7/16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री मोहम्मद, सूचना सहायक, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग पंचायत समिति–नागौर, नागौर को **Master of Computer Application, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी** से पत्राचार के माध्यम से अग्रिम अध्ययन परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री मोहम्मद, को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष मे उतीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस मे उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वंयपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों की परीक्षा के लिये पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं हैं।

(आशुतोष. एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उपनिदेशक),कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, नागौर को सूचनार्थ।
2. श्री मोहम्मद, सूचना सहायक, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग पंचायत समिति–नागौर, नागौर।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड़ हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं
संयुक्त सचिव

Do.IT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–प.2(343)डीओसी/संस्था/95/I/52780/2016 जयपुर, दिनांक 29/6/16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री मगनराज पुरोहित, संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, जोधपुर को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से Ph.D (Computer Science) पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनें की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मगनराज पुरोहित, संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) को निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2. आपका पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
3. आपको प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसो के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से आपको किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और आपका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से आप दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगें, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में आपकी उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नही किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों वश अध्ययन की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षो की परीक्षा के लिये पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

-sd-
(जय सिंह)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. अधीक्षक (कार्यालयाध्यक्ष), राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, जोधपुर ।
2. श्री मगनराज पुरोहित, संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, जोधपुर ।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)